

संख्या-239/2025/आर0एफ0-2080/नौ-9-2025/004-ई-1981295

प्रेषक,

संजय कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
मौदहा, जनपद-हमीरपुर/सोरों, जनपद-कासगंज/सहसवान, जनपद-बदायूं/
जलेसर, जनपद-एटा।

नगर विकास अनुभाग- 9

लखनऊ : दिनांक 27 नवम्बर, 2025

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना अनुदान संख्या-83 से ब्याज रहित ऋण के रूप में नगर पालिका परिषदों के कार्यों/परियोजनाओं हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने एवं धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि सन्दर्भित नगरीय निकायों द्वारा पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास से संबंधित विभिन्न कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की नागर निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निकायों की मांग पर पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना से ब्याज रहित ऋण के रूप में धनराशि स्वीकृत की जाती है। उपर्युक्त निकायों द्वारा प्रस्तुत परियोजना के आगणन/प्रस्ताव कुल लागत धनराशि ₹0 614.88 लाख (रूपये छः करोड़ चौदह लाख अठासी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये कार्ययोजना में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष प्रथम किशत के रूप में 50 प्रतिशत की धनराशि ₹0 299.67 लाख (रूपये दो करोड़ निन्यानबे लाख सड़सठ हजार मात्र) अनुदान संख्या-83, पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में निम्न विवरणानुसार एवं निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

नगर पालिका परिषद

अनुदान संख्या-83

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्र0 सं0	निकाय/जनपद का नाम	मद/कार्य	निकायों से प्राप्त डी0पी0 आर0 के अनुसार कार्यों की प्राक्कलित लागत/प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति	स्तम्भ-(4) के सापेक्ष कार्ययोजना में अनुमोदित धनराशि	प्रथम किशत के रूप में 50 प्रतिशत निर्गत की जा रही धनराशि

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पालिका परिषद, मौदहा, जनपद-हमीरपुर	1. वार्ड नं0 01 तकिया में लालजी यादव के सामने से मस्जिद तक सी0सी0 का निर्माण कार्य।	14.35		
		2. वार्ड नं0 06 इलाही तालाब में पेन्टर के मकान से रामदेवी के मकान तक सी0सी0 रिपेयरिंग का कार्य।	5.00		
		3. वार्ड नं0 06 इलाही तालाब में जियो आफिस के पास से कामता सफाई प्रभारी के मकान तक सी0सी0 का निर्माण कार्य।	12.96		
		4. वार्ड नं0 08 मराठीपुरा में भारती कुशवाहा के मकान के सामने से रामफल मास्टर के मकान तक सी0सी0 दोनों ओर नाली, मिट्टी भराई व क्रास का निर्माण कार्य।	3.78		
		5. वार्ड नं0 08 कुशवाह मेडिकल वाले के मकान से आजाद टेलर के मकान तक सी0सी0 व दोनों ओर नाली का निर्माण कार्य।	3.47		
		6. वार्ड नं0 10 कायमकुंआ में मुजीब भाई की दुकान से सैफू के मकान तक सी0सी0 रिपेयरिंग/निर्माण कार्य।	5.33		
		7. वार्ड नं0 11 रागौल पूर्वी में मामी चाय वाली की दुकान से मुईनउद्दीन दीवान जी के मकान तक सी0सी0 रिपेयरिंग का कार्य।	5.90		
		8. वार्ड नं0 12 फत्तेपुर पूर्वी में लालजी कबीर के मकान से रसूला के मकान तक सी0सी0 व दोनों ओर नाली व क्रास का निर्माण कार्य।	5.71		
		9. वार्ड नं0 12 फत्तेपुर पूर्वी में गांधी इण्टर कालेज शौचालय के पास से बाबूलाल अनुरागी के मकान तक सी0सी0 क्रास व मिट्टी भराई का कार्य।	12.77		
		10. वार्ड नं0 15 चौधराना में भूरी चक्की वाले के सामने से राजाबाई के मकान होते हुए नीलम के मकान तक सी0सी0 व दोनों ओर नाली का निर्माण कार्य।	12.66		
		11. वार्ड नं0 15 चौधराना में छनना मन्ना के मकान से दानिश के मकान तक सी0सी0 व दोनों ओर नाली व क्रास का निर्माण कार्य।	3.81		
		12. वार्ड नं0 17 हैदरिया में पठान बाबा के पास से रपटा तक सी0सी0 दोनों ओर नाली, मिट्टी भराई व क्रास का निर्माण कार्य।	10.54		
		13. वार्ड नं0 19 सिचौलीपुरवा में अजहर के मकान के पास से रमजान के मकान तक सी0सी0 दोनों ओर नाली व क्रास का निर्माण कार्य।	2.23		
		14. वार्ड नं0 19 सिचौलीपुरवा में तेजा के मकान से सुल्तान के मकान तक सी0सी0 दोनों ओर नाली व मिट्टी भराई व क्रास का निर्माण कार्य।	2.29		
		15. वार्ड नं0 19 सिचौलीपुरवा में सद्दाम के घर से जुम्न के मकान तक सी0सी0 दोनों ओर नाली व क्रास का निर्माण कार्य।	5.36		
		16. वार्ड नं0 19 सिचौलीपुरवा में प्राथमिक विद्यालय से अमीनुद्दीन के मकान तक सी0सी0 दोनों ओर नाली व मिट्टी भराई व क्रास का निर्माण कार्य।	11.77		
		17. वार्ड नं0 19 सिचौलीपुरवा में इमामबाड़ा से राकेश श्रीवास के मकान तक सी0सी0 दोनों ओर नाली व मिट्टी भराई व क्रास का निर्माण कार्य।	3.25		

		18. वार्ड नं0 19 सिचौलीपुरवा में डिग्री कालेज जाने वाली रोड में अनिल यादव के मकान से बृजमोहन के मकान से होते हुए रवि कुमार मास्टर के मकान तक सी0सी0, दोनों ओर नाली व मिट्टी भराई व क्रास का निर्माण कार्य।	14.52		
		19. वार्ड नं0 19 सिचौलीपुरवा में जलालुद्दीन के मकान से हनीफ उर्फ पल्हड़ इदरीश के मकान तक व जीतू वर्मा, नासिर के मकान से कल्लू के मकान के आगे तक सी0सी0 व नाली का निर्माण कार्य।	22.89		
		20. वार्ड नं0 20 तहसील कक्ष में जगन्नाथ सिंह के मकान से शर्मा जी (वकील) के मकान तक सी0सी0, नाली व मिट्टी भराई का कार्य।	3.71		
		21. वार्ड नं0 22 सिजवहिया में मौलाना अताउर्रहमान के मकान से सुग्गा के मकान होते हुए भाऊ कोरी के मकान तक सी0सी0 रिपैरिंग का कार्य।	3.46		
		22. वार्ड नं0 23 व 25 कजियाना में प्रेम गुप्ता के मकान से गन्धीधर इमामबाड़ा तक सी0सी0 व नाली का निर्माण कार्य।	6.22		
		23. 100 PC LED Luminaire For Road And Street Lighting Rating-90 Watt (AAA)	8.75		
		24. 200 PC LED Luminaire For Road And Street Lighting Rating-45 Watt (AAA)	9.88		
		25. 150 PC LED Luminaire For Road And Street Lighting Rating-60 Watt (AAA)	8.72		
		26. Supply and Fixing of 02 No. High Mast light 16.0 Mtr. With 6 Nos. 200 Watt LED light.	10.89		
		योग	210.22	200.00	100.00
2	नगर पालिका परिषद, सोरो, जनपद-कासगंज	1. जनपद कासगंज के नगर पालिका परिषद, सोरो के मेला परिसर में गेस्ट हाउस का निर्माण कार्य।	93.84		
		2. निर्माण कार्य सड़क 150 एम0एम0 सी0सी0 द्वारा जन्तू के मकान से गुड्डी के मकान तक।	12.05		
		3. निर्माण कार्य सड़क एवं नाली 80 एम0एम0 इंटरलॉकिंग ईट द्वारा पत्थर वाली धर्मशाला से श्रीराम भट्टा तक।	16.22		
		4. निर्माण कार्य सड़क एवं नाली 80 एम0एम0 इंटरलाकिंग ईट द्वारा मो0 बंजारा बस्ती में राहुल के मकान से जयवीर के मकान तक।	3.40		
		5. नगर पालिका परिषद, सोरो कार्यालय में मख्य द्वार का निर्माण कार्य।	17.60		
		6. नगर पालिका परिषद, सोरो द्वारा मेला ग्राउण्ड स्थित महापंचशक्ति द्वार का निर्माण कार्य।	24.44		
		7. श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क का सौन्दर्यीकरण कार्य।	6.97		
		8. नगर के पोलों पर प्रकाश व्यवस्था हेतु 100 नग 200 वाट प्लड लाइट विथ क्लैम्प (हैवल्स/फिलिप्स/क्रोम्पटन)	14.68		
		9. नगर के पोलों पर प्रकाश व्यवस्था हेतु 100 नग 110 वाट स्ट्रीट एल0ई0डी0 लाइट विथ क्लैम्प (हैवल्स/फिलिप्स/हैलोनैक्स/क्रोम्पटन)	11.06		
		योग	200.26	200.00	100.00

3	नगर पालिका परिषद सहसवान, जनपद-बदायूं।	1. वार्ड नं0-06 मो0 पठानटोला में मोहम्मद उमर एडवोकेट के मकान से भूरे के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	35.60		
		2. वार्ड नं0-06 मो0 पटटी यकीन मुहम्मद-2 में पुरानी पुलिस चौकी से डॉ0 गुड्डू के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	22.35		
		3. वार्ड नं0-05 मो0 नसरूल्लागंज में मोहम्मद मियां की दुकान से जमील के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	21.83		
		4. वार्ड नं0-22 में मो0 पठान टोला हसन मेडिकल से पठान टोला चौराहा होते हुए सलीम व नवाब के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	25.26		
		योग	105.06	100.00	50.00
4	नगर पालिका परिषद जलेसर, जनपद-एटा	1. वार्ड सं0-1 में मित्तल जी के प्लाट से मोहन सिंह के प्लाट के आगे तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	26.78		
		2. अवागढ क्रासिंग पर जैन स्टॉप व पार्क का डवलपमेन्ट कार्य।	27.43		
		3. वार्ड सं0-13 में गिरीश के घर से अर्मेन्द्र के घर सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	5.60		
		4. वार्ड सं0-13 में वीटू ठाकूर के घर से प्रमोद नाई के घर तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	15.35		
		5. वार्ड सं0-16 में भारतीय झण्डा लगाये जाने का कार्य।	11.35		
		6. नगर पालिका परिषद सीमान्तर्गत प्रकाश व्यवस्था हेतु विभिन्न स्थानों पर 7 मीटर पोल 90 वाट स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापन का कार्य।	12.80		
		योग	99.34	99.34	49.67
		कुल योग (नगर पालिका परिषद : अनुदान संख्या-83)	614.88	599.34	299.67

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

- (1) यह धनराशि सम्बन्धित निकाय को ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, जो वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-बी-4-918/दस-2006-8/1965टी0सी0 दिनांक-21.09.2006 की व्यवस्थानुसार 03 वर्ष के मॉरीटोरियम के पश्चात दस समान वार्षिक किश्तों में राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत निकायों को प्राप्त होने वाली धनराशि से समायोजन द्वारा वापसी सुनिश्चित की जायेगी।
- (2) संबंधित निकाय द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0/आगणन में प्रस्तावित/प्राक्कलित लागत एवं योजनान्तर्गत स्वीकृत की जा रही कुल धनराशि के अन्तर की धनराशि निकाय द्वारा स्वयं के स्रोतों से वहन की जायेगी।
- (3) अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए वर्क आर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही संबंधित निकायों द्वारा स्वीकृत कार्यों हेतु व्यय की जायेगी।
- (4) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जाएगा। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार

- आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 व डिपॉजिट खाते में नहीं रखी जाएगी।
- (5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत प्रयोजन पर ही किया जायगा अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये इसका समस्त उत्तरदायित्व निकाय का होगा सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायगा।
 - (6) प्रस्तावित प्रायोजना के कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाएगा तथा आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं एवं मानकों को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित निकाय/ कार्यदायी संस्था का होगा।
 - (7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससयम पूर्ण करा लिया जाना सुनिश्चित किया जाए।
 - (8) स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के कार्य स्थल पर डिस्पले बोर्ड पर योजना का नाम अर्थात् पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना का पूर्ण विवरण एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा पूर्ण होने की सम्भावित तिथि का उल्लेख किया जाएगा। कार्य योजना का प्रस्ताव निकाय बोर्ड की बैठक में पारित कराने का दायित्व सम्बन्धित निकाय का होगा।
 - (9) स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह निदेशक स्थानीय निकाय निदेशालय, 30प्र0 लखनऊ के माध्यम से सचिव/प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग/वित्त विभाग को भी उपलब्ध कराया जाएगा।
 - (10) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में निहित प्राविधानों का अनुपालन करते हुए समपबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाए। सामग्री/ उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाएगा। विद्युत कार्यों के लिये शासनादेश संख्या-1383/9-9-14-943/14, दिनांक 19.11.2014 एवं शासनादेश संख्या-227/2015/1689-नौ-8-2015-96/2015, दिनांक 20.11.2015 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
 - (11) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाए।
 - (12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रश्नगत कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
 - (13) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।
 - (14) स्वीकृत कार्यों के लिये स्थानीय निकाय कार्यदायी संस्था होगी।
 - (15) प्रस्तावित प्रायोजना में उल्लिखित विस्तृत ड्राइंग डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति, जिसका सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया गया हो के आधार पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाएगा तथा आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित निकाय/कार्यदायी

- संस्था का होगा प्रायोजन का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।
- (16) उपर्युक्त अवस्थापना विकास के कार्य नगर की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर स्वीकृत किये जा रहे हैं। अतः शासनादेश निर्गत होने के पश्चात तत्काल कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा।
- (17) योजनान्तर्गत वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक- 27 मार्च, 2025 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- (18) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष (31 मार्च, 2026 तक) में सुनिश्चित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराया जाएगा। यह कार्यवाही सम्बन्धित निकाय द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
- (19) आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये अधिशासी अधिकारी/अभियंता उत्तरदायी होंगे।
- (20) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करा ली जायें।
- (21) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग नीति आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस० सी०एस०टी०/टी०एस०सी० हेतु निर्धारित मानक व दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाये।
- (22) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग शासनादेश संख्या-1319/नौ-9-21-457/21, दिनांक- 30.06.2021 तथा यथा-संशोधित शासनादेश संख्या-1125/नौ-9-2025/45/2021-ई-1749112, दिनांक- 04.06.2025 एवं संख्या-1124/नौ-9-2025/45ज/2021-ई-1749112, दिनांक- 04.06.2025 द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure SOP) में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।
- (23) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय-सीमा/अवधि में ही पूर्ण हो जाये, जिससे टाइम ओवर रन एवं कॉस्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।
3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 299.67 लाख (रुपये दो करोड़ निन्यानबे लाख सड़सठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 6215027890402 नगर पालिका परिषदें मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।
4. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-9-138 -X-2025-26, दिनांक- 25 नवम्बर, 2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

Digitally signed by
Sanjay Kumar Tiwari
Date: 27-11-2025
16:09:03
(सजय कुमार तिवारी)

अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-²³⁹/2025/आर0एफ0-²⁰⁸⁰⁽¹⁾/नौ-9-2025/004-ई-1981295, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
7. कोषाधिकारी, जनपद-हमीरपुर/कासगंज/बदायूं/एटा।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9।
9. वेब मास्टर, कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग।
10. पी0एम0यू0 यूनिट, नगर विकास विभाग।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार तिवारी)

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026
आवंटन दिनांक-27/11/2025

प्रेषण संख्या:- 239
आवंटन आदेश संख्या:- 001-239-2025-RF-2080-9-9-2025-004-E-1981295
अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)
(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज(आयोजनेत्तर-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
789 - अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना
04 - पं. दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना
02 - नगर पालिका परिषदे

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		30-निवेश/ऋण	योग
1	एटा-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	4967000 4967000	4967000 4967000
2	बदायूं-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 5000000	5000000 5000000
3	हमीरपुर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 10000000	10000000 10000000
4	कांसगंज-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 10000000	10000000 10000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	29967000 29967000	29967000 29967000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो करोड़ निन्यानवे लाख सरसठ हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो करोड़ निन्यानवे लाख सरसठ हजार


(कल्याण बनर्जी)
विशेष सचिव